

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1977

का० भा० 3062.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1977 है।
- (2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की अनुसूची में, भाग 1 में, प्रविष्टि 40 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"41. भारतीय डाक-घर सेवा एवं वित्त सेवा, समूह क"।

[सं० 11012/10/77-स्था० (ए)]

एन० आर० सुब्रमण्यन, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 20th September, 1977

S.O. 3062.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1977.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in Part I, after entry 40, the following entry shall be added, namely :—

"41. Indian Posts and Telegraphs Accounts and Finance Services, Group A".

[No. 11012/10/77-Esta.(A)]

N. R. SUBRAMANYAN, Dy. Secy.